अति तत्काल

आर टी आई मामला

सं. 14036/449/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक : 25/06/2013

सेवा में,

सुश्री सुशीला,
निवासी - ए/4, 245-46,
सुल्तानपुरी,
नई दिल्ली-110086

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक रहित आवेदन।

महोदया,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 18.06.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आपकी शिकायत को इस मंत्रालय के दिनांक 28.5.2013 के पत्र सं. 14036/10/2013-यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को अग्रेषित किया जा चुका है और इसलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपका आर टी आई आवेदन भी दिल्ली पुलिस की ओर से आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्हें अंतरित किया जा रहा है।

3.. इस उत्तर के संबंध में, गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के. के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं

अवर सचिव (डी पी-II)

दूरभाष : 2309 2856

Issued with encl.
1705
4/7

390

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे मुहैया करवाई जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।